

**भारत सरकार**  
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1061**  
**गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक)**

**औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी**

**1061. श्री सतनाम सिंह संधू:**

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) देश के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) देश में कार्यबल में नेतृत्व की भूमिकाओं और निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**  
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा [https://dge.gov.in/dge/schemes\\_programmes](https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes) पर देखा जा सकता है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसरों और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में ओपन कास्ट कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

सरकार, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है।

सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) को लागू कर रही है। स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य, भारत के युवाओं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें उद्योग प्रासंगिक कौशल में प्रवीणता प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका" जारी की। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट (2024-25) में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

केंद्रीय बजट 2025-26 में 5 लाख महिलाओं/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रथम उद्यमियों के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की गई है जिससे उन्हें अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण प्रदान किए जाएंगे।

\*\*\*\*\*